न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2020-00231RAAJodhpur2020-108RTA225 Dhaglaram Vs Nathuram etc

ढगलाराम पुत्र स्व. श्री चौथाराम आयु 56 वर्ष, जाति सीरवी, बेरा सियालों की ढीमड़ी पोलियावास के पास, बिलाड़ा चक नं. 1 तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. नाथुराम पुत्र स्व. श्री नैनाराम
2. चन्द्राराम पुत्र स्व. श्री नैनाराम
3. जिमनादेवी पत्नी स्व. श्री नैनाराम
4. लाबूराम पुत्र स्व. श्री नैनाराम
   सभी जातियान् सीरवी, निवासीगण- बेरा सियालों की ढीमड़ी पोलियावास के पास, बिलाड़ा चक-1, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
5. मिश्रीदेवी पत्नी श्री जगदीश पुत्री स्व. श्री नैनाराम, जाति सीरवी, निवासी- ग्राम खारिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
6. कमलादेवी पत्नी श्री गोपाराम पुत्री स्व. श्री नैनाराम, जाति सीरवी, निवासी-ग्राम खरिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
7. इन्द्रादेवी पत्नी श्री दुर्गाराम पुत्री स्व. श्री नैनाराम जाति सीरवी, निवासी- बेरा भेवरिया शिवमगरी स्कूल के पास, बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बिलाड़ा।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 31 दिसंबर 2019 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2019 नाथुराम व अन्य बनाम ढगलाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री मदनलाल चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री एन.के., अधिवक्ता-रेस्पो. सं. 1 से 3, 6 व 7
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 8

नि र्ण य

दिनांक : 14 फरवरी 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2019 नाथुराम व अन्य बनाम ढगलाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 31 दिसंबर 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 03 सितंबर 2020 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 1568 रकबा 11 बिस्वा ग्राम बिलाड़ा चक-1 में आवागमन हेतु अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 1565 रकबा 09 बिस्वा की दक्षिणी माठ के सहारे-सहारे 30 फीट चौड़ा रास्ता चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। अपीलांट के विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उसके व रेस्पोडेंट संख्या चार से सात के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तत्पश्चात उपस्थित उभय पक्ष को सुनकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31 दिसंबर 2019 के जरिये प्रार्थीगण/रेस्पो संख्या एक से तीन का प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वर्ष 2017 में समान अनुतोष का प्रार्थना पत्र धारा 251-ए के तहत पेश किया, जिसके दर्ज नं. 3/2017 है। रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन द्वारा वर्ष 2017 में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2019 को जब अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक से आठ के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किये जाने का आदेश पारित किया, उसी दिन यानि दिनांक 27.06.2019 को रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने का आदेश पारित किया, जिसकी जानकारी रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन को होने पर रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन द्वारा तत्कालीन रीडर से मिलीभगत व सांठगांढ कर पूर्व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की पत्रावली को गायब करवा दिया। रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन द्वारा पूर्व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की पत्रावली गायब करवाने में उनका हाथ होने का पहला कारण यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था तथा दूसरा कारण यह है कि यदि उक्त पत्रावली कोर्ट के कर्मचारियों की लापरवाही से गायब होती तथा रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन का उक्त पत्रावली गायब करवाने में उनका हाथ नहीं होता तो वो अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली गायब होने की सूचना देते, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली गायब होने की एफआईआर दर्ज करवायी जाती तथा पूर्व पत्रावली नहीं मिलने पर काउंटर प्रार्थना पत्र पेश किये जाने की अनुमति दी जाती व प्रार्थना पत्र दर्ज नंबर वही होते जो पूर्व प्रार्थना पत्र के थे,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

परन्तु रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को पूर्व प्रार्थना पत्र की पत्रावली गायब होने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी। क्योंकि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन उक्त पत्रावली गायब करवाने के आपराधिक कृत्य में शामिल थे। रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन द्वारा उक्त पत्रावली गायब होने की सूचना अधीनस्थ न्यायालय को नहीं देने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली गायब होने की न तो एफआईआर करवायी गई न ही पुनः काउंटर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन को अनुमति दी गई। वर्ष 2017 मे रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन द्वारा समान अनुतोष का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना, अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक से आठ के विरुद्ध पेश राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 342/2017 अनवान ढगलाराम बनाम श्रीमती जिमनीदेवी में दिनांक 11.12.2017 को पेश किये गये जवाब के विशेष कथन के पद संख्या एक में स्वीकार किया है। इस प्रकार रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.12.2019 कपटपूर्वक तरीके से व बिना स्वच्छ हाथों से प्राप्त किया है तथा उक्त अपीलाधीन आदेश पूर्व-न्याय के कानून {रैस-ज्यूडिकेटा}से बाधित है। इसलिए रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.12.2019 कपटपूर्वक तरीके से व बिना स्वच्छ हाथों से प्राप्त किया होने से व पूर्व न्याय के कानून से बाधित होने से निरस्त योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ गलत नजरी नक्शा पेश किया है। रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन द्वारा खसरा नं. 1565 की भूमि के सहारे-सहारे गलत पड़ोसी बताये गये है। रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन द्वारा भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का से मिलीभगत कर गलत मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करवायी गई है। जबकि रास्ते के स्थान पर अपीलांट के द्वारा पशुओं के पक्के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बाड़े का निर्माण करवाया हुआ है। भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त मौका फर्द अपीलांट की अनुपस्थिति में नियम 69 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना तैयार की है तथा विचारण न्यायालय द्वारा उक्त मौका फर्द के आधार पर अपीलाधीन रास्ता प्रदान किया है। वकील अपीलांट ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि उभय पक्ष एवं अन्य खातेदारान् के आवागमन हेतु खसरा नं. 1564 में सें वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध है जो उभय पक्ष द्वारा सहमति से कायम किया हुआ है, जिसमें सें सभी खातेदार अपने-अपने खसरा नं. 1664 के चारों दिशाओं मे स्थित भूमि खसरा नं. 1490, 1568, 1567, 1566, 1565, 1562, 1561 में आने-जाने हेतु व काश्त करने हेतु साधन लेकर आने व जाने हेतु खसरा नं. 1564 में स्थिति वैकल्पिक रास्ते का ही उपयोग करते है। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलांट को सर्वप्रथ अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 13.08.2020 को हुई, जब भू-अभिलेख निरीक्षक बिलाड़ा चक-1 अपीलांट के पास आये ओर अपीलांट को रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा राशि 67920/- रूपये बाबत जारी अपीलांट के पक्ष में चैक लेने हेतु कहा, तब अपीलांट ने उनसे पूछा कि यह चैक किस पेटे है? तो उन्होंने बताया कि ''नाथुराम ने आपके व अन्य के विरुद्ध जो राजस्व प्रार्थना पत्र पेश किया था, उसे उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा दिनांक 31.12.2019 को स्वीकार कर लिया था। तब अपीलांट द्वारा दूसरे ही दिन विचारण न्यायालय में जाकर अपीलाधीन आदेश की नकल हेतु आवेदन किया जो नकल मिलने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। चूंकि अपीलांट की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी को अधिवक्ता नियुक्त किया गया था, जिन्होंने न तो वकालतनामा पेश किया तथा न ही मामले में पैरवी की। इसलिए

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। अपीलांट द्वारा जानबूझकर या कोई उद्धेश्य विशेष की प्राप्ति हेतु प्रस्तुत अपील पेश करने में विलंब नहीं किया है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 31 दिसंबर 2019 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावे। वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 2014(1)आर.आर.टी. पेज 40, आर.आर.टी. 2022(2) पेज 1 की न्यायिक नजीरे पेश की।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया रेस्पोडेंट्स के लिए आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता मौके पर उपेवलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को जरिये सम्मन के लिए तलब किया , फिर भी वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की समुचित सुनवाई कर प्रस्तुत मौका फर्द के अनुसार लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा ऑनलाईन जमाबंदी एवं नक्शा की प्रति पेश कर न्यायालय हाजा को गुमराह किया हैं। क्योंकि उक्त ऑनलाईन नक्शा में खसरा नं. 1568 की स्थिति खसरा नं. 1566 के स्थान पर बतायी गई हैं। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तथ्यों के विरोध में कांउटर शपथ-पत्र पेश नहीं किये जाने एवं मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब पर नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक दिनांक 22.07.2019 को अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा अंडरटेकिंग दिया जाना पाया जाता है। तत्पश्चात अपीलांट स्वयं एवं उनके अधिवक्ता द्वारा विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध दिनांक 12.12.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाया जाना पाया जाता है।

मौका फर्द दिनांक 25.09.2019 के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट्स के खातेदारी खेत खसरा नं. 1568 मे आवागमन में अपीलांट के खातेदारी खेत खसरा नं. 1565 में से निकटतम एवं लघुतम रास्ता बताया गया है तथा उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं होना बताया गया हैं।

जहां तक अपीलांट का उज्र है कि रेस्पोडेंट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष समान अनुतोष का प्रार्थना पत्र पूर्व में पेश किया गया है, इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र रेस-ज्यूडिकेटा से बाधित है।इस संबंध में वकील अपीलांट द्वारा पूर्व में प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय की प्रति प्रस्तुत नहीं की जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके। वकील अपीलांट का अन्य उज्र कि रेस्पोडेंट्स द्वारा पड़ौसी खसरान् की गलत स्थिति बतायी गई है। इस संबंध में मौका फर्द दिनांक 25.09.2019 के अवलोकन सें अपीलांट के उक्त कथन की पुष्टि नहीं होती है। रेस्पोडेंट्स का जवाब है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट द्वारा ऑनलाईन जमाबंदी एवं नक्शा की प्रति पेश की गई है, जिसमें खसरा नं. 1568 के स्थान पर खसरा नं. 1566 की स्थिति बतायी गई है तथा उक्त खसरान् का ऑनलाईन सर्वे होना शेष है तथा इसे प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है। वकील रेस्पोडेंट्स के कथनों की पुष्टि उनके द्वारा प्रस्तुत ट्रेक नक्शा ग्राम- बिलाड़ा चक-1, पी-35 क्रमांक 8154 दिनांक 26.11.2021 से होती है, जिसमें खसरा नं. 1568 की अवस्थिति खसरा नं. 1565 की उत्तर दिशा मे बतायी गई है। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरे मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की स्थिति में लागू होती है, किंतु हस्तगत मामले में रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होना पाया गया है। इसलिए उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होते है। इन परिस्थितियो में अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रदत अपीलाधीन रास्ता निकटतम एवं लघुतम होने से अपीलाधीरन आदेश पाया जाता है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31 दिसंबर 2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.2.2023

मंगलाराम पूनिया
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर